हरिलाल बनाम सुरेश वगैरा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	T. I. हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25-9-13 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 18-10-13 को पेश हो। [signature]	
	18-10-13 वकील उभयपक्ष उप० है। वकील वादी ने प्रकरण में पुनः बहस का निवेदन किया। अतः पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 31-10-13 को पेश हो। [signature]	
	31-10-13 वकील उभयपक्ष उप० है। T. I. प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
54/2012	12.4.2012	.10.2013

हरिलाल पुत्र गंगाधर, कोली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी ——सायल

बनाम

1. सुरेश पुत्र हजारी, बैरवा निवासी ताजपुर रोड महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. हरकेश पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी ताजपुर रोड महूकलां तहसील गंगापुर सिटी

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित— श्री हुकमसिंह गुर्जर,एडवोकेट,सायल की ओर से
श्री सन्दीप त्रिवेदी, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल ने इस आशय का पेश किया है क सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त व पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे में आई भूमि ख0नं0 841 रकबा 30 एयर ग्राम महूकलां में स्थित है । उक्त भूमि के चारो ओर डौल बनी हुई है। ग्राम महूकलां में खेतों के आसपास आबादी हो गई है व जमीनों की कीमत काफी बढ गई है। गैरसायलान सायल की भूमि ख0नं0 841 रकबा 30 एयर पर जबरन कब्जा करने को उतारू हो रहे हैं एवं सायल को धमकी देकर कह रहे हैं कि तेरी भूमि पर हम जबरन कब्जा करेंगे व इसके प्लाट बनाकर इसे बेचेंगे। सायल को गैरसायलान ने दिनांक 1.4.2012 को धमकी दी व 5 गुणा 70 फीट में पश्चिम दिशा में मिट्टी की डौल को फांस कब्जा कर लिया । गैरसायलान ने सायल को यह भी धमकी दी है कि शेष भूमि पर और कब्जा करेंगे । अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करनाया जावे कि वे ताफैसला दावा ख0नं0 841 रकबा 30 एयर ग्राम महूकलां के उपयोग उपभोग में सायल को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा मिट्टी की डौल को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचावें। चारो तरफ की मिट्टी की डौल मेड को न तो स्वयं तोडें न ही किसी अन्य से ऐसा करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर गैरसायलान को तलव किया गया ।

गैरसायलान ने अपने जबाब में अंकित किया है कि तथाकथित मिट्टी की डौल पूर्व से ही गैरसायलान की रही है। इससे सायल का कोई वास्ता नहीं है। सायल की नियत में खोट आ गया है एवं वह गैरसायलान के कब्जे व स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि गैरसायल नं0 1 के पिता हजारीलाल व गैरसायल नं0 2 द्वारा दिनांक 19.7.2011 को श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्री बाबूलाल बैरवा निवासी शिवपुरी ए गंगापुर सिटी से उसकी स्वयं की खरीदशुदा खातेदारी की भूमि ख0नं0 793, 794, 795, 796 ग्राम महूकलां में से एक आवासीय प्लाट नम्बर 31 गैरसायल नं0 2 को व प्लाट नम्बर 32 गैरसायल नं0 1 के पिता ने जरिए स्टाम्प कीमती रू0 100/— खरीदा है एवं खरीद के समय से ही बतौर स्वामी इस पर काबिज हैं । सायल ने भूमि हडपने के लिए यह झूंठा दावा पेश किया है एवं न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है । अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायल ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस पेश की है।

5

जबाब के समर्थन में गैरसायलान की ओर से फोटोकोपी नकल विक्रय पत्र स्टाम्प कीमती 100/—रू.0 बहक हरिकेश पुत्र हजारी बैरवा, हजारी पुत्र चिम्मनलाल बैरवा पेश किए हैं।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायल के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि गैरसायलान सायल को उसकी खातेदारी भूमि ख0नं0 841 के कब्जे में दखल करते हैं इसलिए उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

गैरसायलान के विद्धान वकील ने अपनी बहस में कहा कि विवादित डौल से सायल का कोई लेना देना नहीं है । ख0नं0 793, 794, 795, 796 ग्राम महूकलां में से गैरसायलान ने एक एक आवासीय प्लाट श्रीमती प्रेमलता पत्नि बाबूलाल बैरवा से खरीदा था एवं उन पर वे काबिज चले आ रहे हैं । सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 के अनुसार भूमि ख0नं0 840, 841, 842 ग्राम महूकलां हरिलाल, मुन्नालाल पि0 गंगाधर 1/3, अर्जुन पुत्र चन्दन 1/3, नारायण, रमेश, जगदीश, महेश पि0 बुद्धा 1/3 की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान ने अपने जबाव में उनके द्वारा आवासीय प्लाट के रूप में भूखण्ड खरीदने का तथ्य अंकित किया है परन्तु जिन खसरा नम्बरो में से उन्होने भूखण्ड खरीद का स्टाम्प पेश किया है उन नम्बरों की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश नहीं किए है तथा इस तरह का कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे विवादित भूमि की मिट्टी की डौल ख0नं0 841 की नहीं होना साबित होता हो । सायल विवादित भूमि ख0नं0 841 का सहखातेदार है इसलिए उसे गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रस्तुत अभिलेख से प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित है। फलस्वरूप सायल गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिए *अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है* कि वे भूमि ख0नं0 841 रकबा [illegible] ग्राम महूकलां के उपयोग उपभोग में सायल को किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें एवं मिट्टी की डौल को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनांक [illegible].0.2013 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी